इकाई 3 प्रस्तावना*

संरचना

3.0 उद्देश्य

3.1 प्रस्तावना

3.2 पृष्ठभूमि

3.2.1 वस्तुनिष्ठ संकल्प (Objectives Resolution)

3.2.2 वस्तुनिष्ठ संकल्पों की महत्ता

3.3 प्रस्तावना : मूल पाठ

3.3.1 प्रस्तावना में ''समाजवाद'', ''धर्मनिरपेक्षता'' और ''अखंडता''

3.4 सारांश

3.5 उपयोगी संदर्भ

3.6 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

3.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप यह जान सकेंगे :–

- प्रस्तावना के अर्थ एवं महत्व को समझना;
- भारत के संविधान के लक्ष्य एवं दर्शन की एक झलक प्राप्त करना;
- वस्तुनिष्ठ संकल्प (Objectives Resolution) के अर्थ का परीक्षण करना तथा प्रस्तावना में इसकी उत्पत्ति का विश्लेषण करना;
- प्रस्तावना और संविधान के बीच संबंधों की चर्चा करना; और
- प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के प्रवेश के कारकों का परीक्षण करना।

3.1 प्रस्तावना

प्रस्तावना किसी भी संविधान की खिड़की की तरह होती है जिससे हम यह पता लगा सकते है कि इसके अंदर क्या है। भारत के संविधान में भी एक प्रस्तावना है। यह संविधान के प्रारंम्भ मे ही दी गयी है। मुख्य भाग यानी, भाग एक के पहले दी गयी है। यदि आप इस प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो यह संविधान के लक्ष्य एवं दर्शन के बारे में एक झलक प्रस्तुत करती है। यह एक प्रकार का संकल्प है जिसे लोगों ने स्वयं के लिये पारित किया है उनके विकास के लिये। यह किसी अन्य स्रोतों से नहीं किया है बल्कि लोगों ने स्वयं इसे दिया है। यह भारत के लोगों की तरफ से संविधान सभा के सदस्यों ने लिखी थी। जैसा कि आपने इकाई संख्या एक में पढ़ा होगा, भारत के संविधान को संविधान सभा ने लिखा था, जिसमें उनके प्रतिनिधि शामिल थे।

आप यह जानकर अचंभित होंगे कि संविधान की प्रस्तावना को संविधान सभा के अंतिम सत्र में यानी अक्टूबर 1949 में लिखी गयी थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक 6 दिसंबर 1946 को शुरू हुई थी तथा 26 नवंबर 1949 को समाप्त हुई थी। इसमें संविधान को अंगीकृत किया गया तथा 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू भी हुआ।

* प्रोफेसर जगपाल सिंह, राजनीति विज्ञान संकाय, सामाजिक विद्यापीठ, नई दिल्ली।

3.2 पृष्ठभूमि

3.2.1 वस्तुनिष्ठ संकल्प (Objectives Resolution)

संविधान सभा में जो लक्ष्य एवं उद्देश्यों के उपर चर्चा की गयी उन्हें पहली बार जवाहर लाल नेहरु ने 'वस्तुनिष्ठ संकल्प' (Objectives Resolution) के रूप में तैयार किया था। संविधान सभा में, इसे जवाहरलाल नेहरु ने प्रस्तुत किया तथा पुरूषोत्म दास टंडन ने उनका समर्थन किया। संविधान सभा में चर्चा के बाद अधिकतर वस्तुनिष्ठ संकल्पों को प्रस्तावना के रूप स्वीकार कर लिया गया था। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि वस्तुनिष्ठ संकल्पों को संविधान सभा ने अपनी बहस में शुरू में ही स्वीकार कर लिया था, लेकिन इन्हें प्रस्तावना में अंत में रूपांतरित किया गया। इन वस्तुनिष्ठ संकल्पों का उद्देश्य था संविधान सभा को कुछ इशारा देना कि उसके सदस्य क्या करना चाहते है, वे क्या प्राप्त करना चाहते है, तथा वे कहां जा रहे हैं।

वस्तुनिष्ठ संकल्पों का प्रमुख लक्ष्य था एक ऐसे संविधान का निर्माण करना जिसे संविधान सभा ने अपनी बहस एवं चर्चा के बाद तैयार किया था। वस्तुनिष्ठ संकल्पों का एक मात्र उद्देश्य लोगों को यह शपथ दिलाना था कि वे अपने भविष्य के निर्माता स्वयं ही है। इन संकल्पों ने भारत के संविधान के भविष्य के लिए कुछ मौलिक सिद्धांतों की आधारशिला रखी थी। इनमें सबसे प्रमुख था, ''संप्रभु भारतीय गणराज्य''। वास्तव में यह पहली बार था जब संकल्पों के अंदर ''गणराज्य'' की अवधारणा का प्रयोग किया गया। जब इन संकल्पों को संविधान सभा में लाया गया तब राज्यों के प्रतिनिधि इसमें उपस्थित नहीं थे तथा मुस्लिम लीग ने इसका बहिस्कार भी किया था। लेकिन नेहरु ने यह कहा कि उनकी अनुपस्थिति के बावजूद भी ''गणराज्य'' में पूरे भारत को शामिल किया जायेगा।

3.2.2 वस्तुनिष्ठ संकल्पों का महत्व

जवाहर लाल नेहरू के शब्दों में वस्तुनिष्ठ संकल्प का उद्देश्य ''यह संदेश देना था कि हमने क्या करने का संकल्प किया है।'' और संविधान में सभा में चर्चा के बाद हमें एक संविधान का निर्माण करना है, ''चाहे किन्हीं शब्दों में, इसे हम बाद में देख लेंगे'' (संविधान सभा बहस, खण्ड 1, दिसम्बर 13, 1946)। और आखिर चर्चा के बाद करीब तीन वर्षो में संविधान सभा संविधान को बनाने में सफल रही, जैसा कि इकाई संख्या एक में दिया गया है। यह 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। संविधान को बनाने के बाद संविधान ने इसके प्रस्तावना का मसौदा भी तैयार किया था। इस प्रस्तावना में वस्तुनिष्ठ संकल्पों की समानता देखने को मिलती है। संविधान सभा में 9 दिसंबर, 1946 के आरम्भ होने के पांच दिन बाद ही वस्तुनिष्ठ संकल्पों को 13 दिसंबर, 1946 संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था।

वस्तुनिष्ठ संकल्पों ने कुछ मौलिक सिद्धांतों की पहचान की थी जो संविधान के ढ़ांचे के लिए दिशा निर्देश थे। ये सिद्धांत ही हमारे राजनीतिक व्यवस्था के चरित्र की आधारशिला रखेंगे तथा इनका मुख्य उद्देश्य संविधान में व्यवस्थित ढ़ांचे की रचना करना था। इन सिद्धांतों ने ही हमारी राजनीतिक व्यवस्था का चरित्र, उसकी क्षेत्रीय सीमा, इकाईयों के बीच शक्तियों का बंटवारा, सभी शक्तियों का स्रोत आम जनता, सभी को सामाजिक न्याय प्रदान करना, तथा अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना जैसे सिद्धांतों की आधारशिला रखी थी।

इन आधारभूत सिद्धांतों को वस्तुनिष्ठ संकल्पों में दिया गया है। खंड 1, संविधान सभा की बहस ये इस प्रकार हैः–

1) संविधान सभा इस बात का संकल्प लेती है कि भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य होगा तथा इसके शासन के लिए एक संविधान होगा।

2) जिसमें, जो क्षेत्र अब ब्रिटिश भारत का है वो भारत के राज्यों का होगा, तथा वे भाग जो ब्रिटिश भारत से अलग है वे भी इसके भाग होंगे और यह स्वतंत्र संप्रभु भारत गणराज्य होगा, तथा यह सभी का संघ होगा।

3) जिसमें, जो भी क्षेत्र हैं, उनका निर्धारण संविधान सभा करेगी तथा बाद में उसका निध ारिण संविधान के कानून के अनुरूप होगा, ये सभी स्वायत्त इकाइयां होंगी, तथा इन्हें अवशिष्ट शक्तियां भी प्राप्त होंगी, तथा प्रशासन के सभी कार्यों को करेगी, तथा जो कार्य संघ के अधीन आते है उनको छोड़कर सभी कार्य करेंगी।

4) जिसमें, सभी शक्तियां चाहे वो संप्रभु भारत गणराज्य हो या सरकार का कोई भी अंग हो सभी शक्तियां भारत के लोगों से प्राप्त होंगी। जनता सभी शक्तियां की मालिक होंगी।

5) जिसमें, सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की गारंटी होगी, पद की समानता होंगी, सभी को समान अवसर प्रदान किये जायेंगे, तथा कानून समक्ष सभी समान होंगे, सभी को सोचने बोलने विश्वास करने, पूजा करने, संगठन बनाने की आजादी होगी लेकिन यह कानून एवं नैतिकता के तहत् होगी।

6) जिसमें, अल्पसंख्यकों को उचित सुरक्षा प्रदान की जायेगी, तथा पिछड़े आदिवासी इलाकों, एवं वंचित वर्गों की भी सुरक्षा की जायेगी

7) जिसमें, भारत गणराज्य की एकता एवं अखंडता कायम की जायेगी तथा इसकी जमीन, समुद्र, हवा की रक्षा की जायेगी जो कि कानून सम्मत होगी एवं सभ्य राष्टों की तरह होगी।

8) यह प्राचीन धरती विश्व में अपना उचित एवं सम्मानीय स्थान रखती है तथा यह विश्व में शांति एवं मनुष्यों के कल्याण में अपना योगदान देने को उत्सुक है।''

वस्तुनिष्ठ संकल्पों ने लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। इसके बारे में जवाहरलाल नेहरु ने अपने संकल्पों में 'गणराज्य' शब्द का जिक्र किया था जो कि 'लोकतंत्र' का ही दूसरा रूप है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आधार तत्वों में न केवल लोकतंत्र का समावेश है बल्कि इसके अंदर आर्थिक लोकतंत्र का समावेश भी है। नेहरु ने यह भी महसूस किया कि इन आधार–तत्वों में समाजवादी राज्य का भी जिक्र नहीं है जिसके उपर भी विरोध हो सकता है। इस पर उन्होंने कहा कि भारत समाजवादी राज्य की तरफ बढ़ रहा है, और समाजवाद का रूप इस बात पर निर्भर करता है हमारी बहस एवं विचार–विमर्श की प्रवृति क्या होगी।

इन आधार–तत्वों को संविधान के भाग में शामिल किया जाना था जिसे संविधान सभा को करना था। लेकिन यह संविधान सभा के सदस्यों पर बाध्य नहीं था। उन्हें संविधान की रचना करने की पूरी आजादी थी। इन संकल्पों में केवल कुछ सिद्धांत ही दिये गये थे।

नोटः i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए रिक्त स्थान का प्रयोग करें।

ii) अपने उत्तरों की जाँच इस इकाई के अन्त में दिए गए आदर्श उत्तरों से करें।

1) आधार तत्व वस्तुनिष्ठ क्या थे?

.....

.....

.....

.....

3.3 प्रस्तावना : मूल पाठ

संविधान की प्रस्तावना का मूल पाठ यहां दिया गया है :–

प्रस्तावना

हम, भारत के लोग, भारत को एक **सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने**

के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता

प्राप्त कराने के लिए,
तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली **बंधुता**
बढ़ाने के लिए
दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी)
को **एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।**

जिन महत्वपूर्ण सदस्यों ने प्रस्तावना की बहस में हिस्सा लिया वे इस प्रकार थे :– मौलाना हसरत मोहानी, के. एम. मुंशी, एच. बी. थामस, पूर्णिया बनज, रोहिनी कुमार चौधरी और प्रोफेसर सिब्बनलाल सक्सेना। संविधान सभा ने प्रस्तावना के विभिन्न पहलुओं की चर्चा की। संविधान सभा से खंड 10 में विभिन्न सदस्यों के तर्कों को दिया गया है। उनमें प्रमुख बिन्दुओं को संविधान की प्रस्तावना में भी जगह दी गयी है। उदाहरण के लिए, मौलाना हसरत मोहानी ''संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य धर्मनिरपेक्ष'' की जगह प्रभुत्व संपन्न ''संघीय गणराज्य बनाना'' चाहते थे या ''प्रभुत्व संपन्न स्वतंत्र गणराज्य'' या फिर भारत को ''भारतीय संघ का समाजवादी गणराज्य बनाने की बात करते थे। एच. वी. कामथ चाहते थे कि ''दृढ़ संकल्प'' के स्थान पर ''ईश्वर के नाम पर'' शब्द होना चाहिए, जबकि रोहिणी कुमार चौधरी चाहते थे कि इन शब्दों के स्थान पर ''देवी के नाम पर'' होना चाहिए। इन संशोधनों एवं सुझावों को संविधान सभा ने अस्वीकार कर दिया था। संविधान में प्रस्तावना को विभिन्न पहुलओं पर चर्चा करने के बाद जोड़ा गया था। बहस के अंत में डा. राजेन्द्र प्रसाद ने यह ''प्रश्न'' कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है'' पर वोट देने के लिए सभा में प्रस्तुत किया।

यह सवाल प्रायः उठाया जाता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं । इस सवाल के जवाब में दो अंतविरोधी उत्तर दिये गये थे। पहला 1966 का बेरुबरी मामला जिसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। जबकि दूसरा केस 1973 का केशवानंद भारती केस, जिसमें यह कहा गया संविधान की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। इसने बेरूबारी केस के निर्णय को पलट दिया था जिसमें संविधान की प्रस्तावना को इसका भाग मानने से इंकार कर दिया था। केशवानंद भारती केस के मामले मे यह भी निर्णय दिया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है बशर्ते कि इसके मूल ढ़ांचे का उल्लंघन न किया गया हो। इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार, संसद ने 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत् संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता शब्दों को शामिल किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने बोम्मई केस में 1994 जिसमें राष्टपति को राज्य सरकारों को बर्खास्त करने का अधिकार दिया गया है, इसमें भी धर्मनिरपेक्ष शब्द की चर्चा की गयी है। इस निर्णय में यह कहा गया कि, ''हम यह नहीं जानते कि संविधान में किस तरह से संशोधन किया जा सकता है ताकि इसके मूल ढ़ांचे से धर्मनिरपेक्षता को हटाया जा सके। ना ही हम यह जानते है कि संविधान अपने आप को समाप्त करने का कोई तरीका प्रदान करता है। अखिल भारतीय रिपोर्टर 1994, खंड 243, (राज 2015) में उद्धरण आधार तत्वों पर बहस संविधान सभा बहस, खंड 1 में नेहरु ने अपने भाषण में कहा कि मूलतः संविधान की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं होगी। जैसा पहले कहा गया है, संविधान सभा अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने प्रस्तावना के ड्राफ्ट को संविधान सभा के पट पर के चुनाव के लिए प्रश्न रखा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। केशवानंद भारती केस ने इस सवाल को समाधान किया और तब से यह संविधान का हिस्सा है। 1995 में, जीवन बीमा केस में, फिर से सर्वोच्च न्यायालय ने यह पुष्टी की कि प्रस्तावना संविधान का ही भाग है।

3.3.1 ''समाजवादी'', ''धर्मनिरपेक्षता'' और ''और अखंडता संविधान की प्रस्तावना में

संविधान की मूल प्रस्तावना में ''समाजवाद'', ''धर्मनिरपेक्षता'' और ''और अखंडता'' नहीं दिये गये थे। संविधान निर्माताओं ने इन शब्दों को संविधान में शामिल करने की जरूरत को महसूस नहीं किया क्योंकि संविधान के अंदर विभिन्न प्रावधान ऐसे हैं जो कि संविधान को धर्मनिरपेक्ष दस्तावेज की संज्ञा देते है तथा इनसे समाजवाद को प्राप्त किया जा सकता था। लेकिन इन अवधारणाओं को 1976 में संविधान के 42वें संशोधन के बाद संविधान की प्रस्तावना में शामिल कर लिया गया था।

अभ्यास प्रश्न 2

नोटः i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए रिक्त स्थान का प्रयोग करें।

ii) अपने उत्तरों की जाँच इस इकाई के अन्त में दिए गए आदर्श उत्तरों से करें।

1) (आधार तत्वों) वस्तुनिष्ठ संकल्पों एवं प्रस्तावना के बीच क्या संबंध थे?

.....

.....

.....

.....

.....

2) क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है?

.....

.....

.....

.....

.....

3) 'धर्मनिरपेक्षता', 'समाजवाद' और 'और अखंडता' की अवधारणा संविधान की प्रस्तावना में कब जुड़ा?

.....

.....

.....

.....

.....

3.4 सारांश

भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के लक्ष्य एवं उसके दर्शन की झलक दिखाती है। यह भारतीय लोगों की संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य स्थापित करने का संकल्प प्रदान करती है। इस गणराज्य में, लोगों को सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक न्याय मिलेगा, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता मिलेगी तथा अवसर एवं प्रतिष्ठा की समानता प्राप्त होगी। यह लोगों में बंधुता तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करेगी। प्रस्तावना को संविधान के अंत में लिया गया था जब संविधान सभा ने संविधान का कार्य पूरा कर लिया था। यह संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरु द्वारा दिये गये आधार तत्वों के अतंगर्त संविधान सभा के उद्घाटन सत्र के पांचवे दिन उभर कर सामने आये थे। इनका पुरूषोत्तम दास टंडन ने समर्थन किया था। आधार तत्व लोगों को यह शपथ दिलाने के लिये थे जिसे उनके प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में संविधान को अंगीकृत किया था। इस शपथ को उन्होंने संविधान को लिखकर पूरा किया था। आधार तत्व संविधान का भाग नहीं थे जबकि प्रस्तावना इसका भाग थी। यह केशवानंद भारती फैसले के बाद 1973 में संविधान का भाग बनी थी। इससे पहले बेरूबारी निर्णय 1960 के समय इसे संविधान का भाग नहीं माना था। केशवानंद भारती केस ने बेरूबारी केस को पलट दिया था और यह स्थापित किया कि प्रस्तावना संविधान का ही भाग है। मूल प्रस्तावना में ''धर्मनिरपेक्षता'', ''समाजवाद'' और ''अखंडता'' जैसे शब्दों का कहीं जिक्र नहीं था। इन्हें संविधान के 42वें संशोधन के बाद शामिल किया गया था। 1994 के बोम्भई केस के बाद यह फैसला आया कि धर्मनिरपेक्षताा संविधान के मूल ढ़ांचे का भाग है।

3.5 उपयोगी संदर्भ

बक्षी, पी. एम. (2007), भारत का संविधान, यूनिवर्सल लॉ प्रकाशन कंपनी

बसु, डी. डी. (2011), भारत के संविधान का परिचय, नागपुर, लेक्सिस, नेक्सिस बरटवर्थ वर्धा।

संविधान सभा की बहस, खंड,1 (13 दिसंबर, 1946)

संविधान सभा की बहस, खंड,10 (17 अक्टूबर, 1949)

ग्रेनविस ऑस्टिन, (2012), भारतीय संविधान : राष्ट की आधारशिला, नई दिल्ली, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस

खोसला, माधव (2012), भारतीय संविधान, नई दिल्ली, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस

राज, कालीसवरम (2015), Rethinking the Preamble, Dec, http://www./livelaw.in/rethinking-the-preamble (वेबसाइट दिसंबर 17, 2018)

3.6 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न 1

1) आधार तत्वों को संविधान सभा में पांचवे दिन यानि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरु द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ये तत्व संविधान के मूलाधार थे तथा इसकी प्रस्तावना के जिसे संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। इसने यह सुझाव दिया कि भारत एक संप्रभु गणराज्य बनेगा जहां सभी को न्याय दिया जायेगा।

अभ्यास प्रश्न 2

1) आधार–तत्वों को संविधान सभा के शुरू में ही चर्चा के लिये प्रस्तुत किये गये थे तथा संविधान की प्रस्तावना बाद में लिखी थी जब संविधान का कार्य पूरा हो चुका था। आधार तत्व संविधान में चर्चा का आधार प्रदान करते है जबकि प्रस्तावना संविधान के लिये एक खिड़की का कार्य करती है जहां से सब कुछ दिखाई देता हो। यह संविधान के प्रमुख अवयवों को प्रस्तुत करती है। प्रस्तावना वास्तव में आधार तत्वों का ही दूसरा रूप है जो कि संविधान सभा में चर्चा के बाद उभर कर सामने आयी थी।

2) केशवानंद भारती केस 1973, के अनुसार प्रस्तावना संविधान का भाग है।

3) ''धर्मनिरपेक्षता'', ''समाजवाद'' और ''अखंडता'' की अवधारणा को संविधान की प्रस्तावना में संविधान के 42वें संशोधन के पश्चात् शामिल किया गया था। बोम्मई केस के बाद प्रस्तावना संविधान के मूल ढ़ांचे का भाग है।